पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रीतम कुमार IAS

प्रकरण सं0 : 212/2021

अनवान :

1. रतिराम पुत्र फुसाराम जाति मेघवाल निवासी किराड़ाबड़ा तहसील भादरा।
2. छोटूराम पुत्र फुसाराम जाति मेघवाल निवासी किराड़ाबड़ा तहसील भादरा।

:– वादीगण

बनाम

1. मामकोरी पुत्री फुसाराम जाति मेघवाल निवासी किराड़ाबड़ा तहसील भादरा।
2. सन्तो पुत्री फुसाराम जाति मेघवाल निवासी किराड़ाबड़ा तहसील भादरा।
3. छबीलाराम पुत्र रहमती पुत्री फुसाराम जाति मेघवाल निवासी किराड़ाबड़ा तहसील भादरा।
4. मदनलाल पुत्र रहमती पुत्री फुसाराम जाति मेघवाल निवासी किराड़ाबड़ा तहसील भादरा।
5. कृष्णचंद पुत्र रहमती पुत्री फुसाराम जाति मेघवाल निवासी किराड़ाबड़ा तहसील भादरा।
6. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) भादरा।

:– **प्रतिवादीगण**

आज यह वाद न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री नवीन गोयल एवं वकील प्रतिवादीगण श्री रविन्द्र मोठसरा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादीगण साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा किराडाबडा के खाता सं0 168/159 के खसरा सं0 16 की 2.592है0, ख0सं0 205 की 3.6670है0, ख0सं0 406 की 4.831है0, ख0सं0 428/1 की 7.4620है0 की कुल 18.552है0 बारानी वादभूमि में फुलाराम पुत्र सख्ताराम के नाम 489 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज वादभूमि में फुलाराम का नाम कलमजन कर वादी सं0 1 रतिराम व वादी सं0 2 छोटूराम को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जाता है। चूंकि प्रतिवादी सं0 1 ता 5 ने अपना हक हिस्सा वादीगण के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 23.02.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Preetam

सहायक कलक्टर
(प्रीतम कुमार) I.A.S.
(फास्ट ट्रैक) भादरा (हनुमानगढ़)
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ

Scanned with CamScanner